न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–155/2026
(सत्र वाद सं0–360/25)
खगड़िया (गंगौर) थाना काण्ड सं0–1004/23
मिथुन कुमार – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम,
खगड़िया।

16.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त–**मिथुन कुमार** की ओर से दाखिल जमानत को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री मनोज कुमार के द्वारा को संचालित किया गया। जमानत की प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है। मामला जमानत का दुरूपयोग का है। आवेदक/अभियुक्त 08.03.2026 से कारा अभिरक्षा में है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक प्रस्तुत मामले में जमानत पर था तथा उसका जमानत बंध–पत्र दिनांक 16.01.2026 को खण्डित कर दिया गया है, क्योंकि अभिलेख आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित था। आवेदक के द्वारा कभी भी जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अब उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी। आवेदक/अभियुक्त 08.03.2026 से कारा अभिरक्षा में है। अतः उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर था। अभिलेख आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित था। आवेदक को मामले में सदेह उपस्थित रहने का निर्देश था, इसके बावजूद भी जब वह मामले में उपस्थित नहीं हुआ तो उसका जमानत बंध–पत्र दिनांक 16.01.2026 को विखण्डित कर दिया और उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि उसने

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–155/2026
(सत्र वाद सं0–360/25)
खगड़िया (गंगौर) थाना काण्ड सं0–1004/23

लगातार
16.03.2026

जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है। अब उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी। आवेदक/अभियुक्त 08.03.2026 से कारा अभिरक्षा में है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	16.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	17.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (D.C.O)